पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 204 / 2020(2020 / 00301)

अनवान : –

1. जयवीर पुत्र जयमलसिंह जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. हंसराज पुत्र जयमलसिंह जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

जयमलसिंह पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ जयसिंह उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचन्द शर्मा व वकील प्रतिवादी सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 डीपीएन सम्वत 2071–74 के वर्तमान खाता संख्या 106 / 109 के मुरब्बा न0 7 के किला न0 2 / 2, 3, 4 / 1, 7 / 2, 8, 9 / 2, 12 / 2, 13, 14 / 1, 17 / 2, 18, 19 / 2, 22 / 2, 23, 24 / 2 इस प्रकार कुल किता 15 की कुल 2.581 हैक्टेयर नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी जयमल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में से **प्रतिवादी जयमलसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 जयवीर व वादी संख्या 2 हंसराज को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी द्वारा वादीगण के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/2021. को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़ — मुद्रा)

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़